न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 11/2021

1 चुकी पुत्री बिशनाराम स्त्री घड़सीराम।
2 संतोष पुत्र बिशनाराम स्त्री मनफूल।
3 झिमी पुत्र बिशनाराम स्त्री बंशीधर समस्त जाति कुमावत निवासीगण कारी तहसील नवलगढ़ हाल निवासी हांसलसर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 लक्ष्मण पुत्र बालर।
2 ज्यानकी स्त्री बिशनाराम।
3 मोहन पुत्र बिशनाराम।
4 नारूराम पुत्र बिशनाराम।
5 रामेश्वर पुत्र बिशनाराम।
6 मंगलचन्द पुत्र बिशनाराम समस्त जाति कुमावत निवासीगण कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
8 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू जरिये शाखा प्रबन्धक।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अ.धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांक 31.07.1998 बअदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ मुकदमा उनवानी लक्ष्मण बनाम बिशना मु. नम्बर 61/1994 दावा बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री उम्मेदराज सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 13.12.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 61/1994 में पारित निर्णय दिनांक 31.07.1998 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन खसरा नम्बर 613 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 615 रकबा 2.00 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 695 रकबा 1.49 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 703/7 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 747 रकबा 0.47 हैक्टेयर सरहद राजस्व ग्राम कारी तहसील नवलगढ़ में स्थित है। उक्त जमीन के बाबत रेस्पोडेंट संख्या 01 लक्ष्मण ने अदालत मातहत के समक्ष एक वाद पत्र बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती व विभाजन का पेश किया उक्त वाद पत्र में अपीलांट का पिता बिसना प्रतिवादी नम्बर 01 के रूप में पक्षकार था। अपीलांट के पिता बिशनाराम का दिनांक 16.09.1995 को देहान्त हो चुका है। विचारण न्यायालय के समक्ष बिशनाराम के वारिसान को बिना कायम मुकाम बनाये विचारण न्यायालय ने मृतक बिशनाराम के विरूद्व दिनांक 31.07.1998 को आलौच्य निर्णय व डिक्री पारित कर दी। इससे व्यथित होकर धारा 5 के आवेदन के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकार बिशनाराम की मृत्यु दिनांक 16.09.1995 को होने के उपरान्त तीन वर्ष पश्चात दिनांक 31.07.1998 को मृत व्यक्ति के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

विरूद्व विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इस निर्णय की अपील इस न्यायालय द्वारा दिनांक 22.03.2002 को एक पक्षीय रूप से स्वीकार की गई है। विचारण न्यायालय में अपीलांट की सम्यक तामील नही हुई है। विचारण न्यायालय द्वारा आदेश 5 नियम 17 से 20 की पालना नही की गई है। चुकी देवी के नोटिस चस्पांदगी से तामील है। जिन पर अंकित गवाह गांव में ही मौजुद नही है। जानकारी से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत अपील विचारण न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। विचारण न्यायालय की डिक्री दिनांक 31.07.1998 के विरूद्व इस न्यायालय में अपील संख्या 07/1999 प्रस्तुत की गई थी। जिसमें वर्तमान अपीलांट चुकी रेस्पोडेंट संख्या 07 के रूप में दर्ज थी। इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 07/1999 निर्णय दिनांक 22.03.2002 से गुणावगुण पर निर्णित की जाकर अपील स्वीकार की जा चुकी है। विधि अनुसार एक बार गुणावगुण के निर्णय के उपरान्त पुन उसी निर्णय की विरूद्व नये सिरे से अपील सुनवाई योग्य नही है। दिनांक 19.02.1996 की आदेशिका में बिशना के कायम मुकाम का आवेदन पेश होने एवं दिनांक 02.12.1997 को कायम मुकाम के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही का अंकन आदेशिका में है। स्पष्ट है कि मृत व्यक्ति के विरूद्व आदेश पारित नहीं किया गया है। अपीलांट अपने हितो की चाराजोही राजस्व मण्डल में करने हेतु स्वंतत्र है। ऐसी स्थिति मे इस अपील में धारा 5 का लाभ प्राप्त करने की अधिकारी नही है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत अपील विचारण न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। विचारण न्यायालय की डिक्री दिनांक 31.07.1998 के विरूद्व इस न्यायालय में अपील संख्या 07/1999 प्रस्तुत की गई थी। जिसमें वर्तमान अपीलांट चुकी रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

संख्या 07 के रूप में दर्ज थी। इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 07/1999 निर्णय दिनांक 22.03.2002 से गुणावगुण पर निर्णित की जाकर अपील स्वीकार की जा चुकी है। विधि अनुसार एक बार गुणावगुण के निर्णय के उपरान्त पुन उसी निर्णय की विरूद्व नये सिरे से अपील सुनवाई योग्य नही है। अपीलांट अपने हितो की चाराजोही राजस्व मण्डल में करने हेतु स्वंतत्र है। ऐसी स्थिति मे इस अपील में धारा 5 का लाभ प्राप्त करने की अधिकारी नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर